FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम (26)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़

परिवाद संख्या   / 2026

मोनिका / मनसुख

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो हुक्म की तामी[illegible] जारी हु[illegible]

4-6-26

परिवादीया मोनिका W/o मनसुखलाल R/o [illegible] [illegible] घंटाली उसके अधिवक्ता श्री प्रकाश मीणा उपस्थित।

कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी को सुना गया। अधिवक्ता परिवादी द्वारा परिवाद अन्तर्गत धारा 175 (3) बी.एन.एस.एस मे भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। संबंधित थाने से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई सुना गया। परिवाद का अवलोकन किया गया।

परिवाद के अवलोकन से संज्ञेय अपराध कारित होने के तथ्य प्रकट होने से परिवाद मूल ही धारा 175 (3) बी.एन.एस.एस के तहत थानाधिकारी **थाना** घंटाली को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि परिवाद मे अंकित तथ्यों पर पूर्व मे प्रकरण दर्ज नही किया हो तो अब उचित अपराध धाराओ मे दर्ज कर 24 घण्टे में एफआईआर न्यायालय के समक्ष पेश करे। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो, परिवाद नंबर से कम किया जावे। परिवाद की प्रति रिकार्ड पर रखी जावे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner